गवाह बनना

अदालत में जाना

आपराधिक और बच्चों की सुनवाई से संबंधित अदालती मामलों में वयस्क गवाहों के लिए पुस्तिका

अनुरोध करने पर इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ, ऑडियो, बड़े अक्षरों और समुदायिक भाषाओं में उपलब्ध हैं।
कृपया 0131 244 2213 पर संपर्क करें।

9 780755 948963
ISBN 0-7559-4896-3

© क्राउन कॉपीराइट 2006

यह दस्तावेज स्कॉटिश एक्जीक्यूटिव वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:

www.scotland.gov.uk

Astron B44303 04/06 [Hindi]

अन्य प्रतियाँ निम्नलिखित से उपलब्ध हैं

Blackwell’s Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन पर ऑर्डर देने या पूछताछ के लिए:
0131 622 8283 या 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर
0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर
business.edinburgh@blackwell.co.uk

यह दस्तावेज मूल की हूबहू प्रतिकृति माना जा सकता है।

w w w . s c o t l a n d . g o v . u k

xokg cuuk

vnkyr e: tkuk

आपराधिक और बच्चों की सुनवाई से संबंधित अदालती मामलों में वयस्क गवाहों के लिए पुस्तिका

इस पुस्तिका में प्रयुक्त तस्वीरें स्कॉटिश एक्जीक्यूटिव के सीडी–रॉम 'गवाह बनना' – बच्चों और वयस्क गवाहों के लिए दिशादिर्नेश (इंगलिश रूपांतर) से ली गई हैं।

सभी संबद्ध व्यक्तियों को विशेष धन्यवाद।

विषय–सूची

परिचय	2
गवाह क्या है?	3
गवाह के रूप में आपके लिए क्या समर्थन और सहायता उपलब्ध है?	5
अदालत से परिचित होने के लिए वहाँ जाना	10
अदालतें और अदालती कार्रवाइयाँ	11
अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके कार्य क्या हैं?	13
अदालती मामला कैसे तैयार होता है	17
अदालत की तारीख	19
अदालत के लिए तैयारी – आपको क्या करना है?	20
अदालत के मुकदमे के दिन	22
प्रतीक्षा	23
शिनाख्त/पहचान करना	25
अपनी गवाही देना	26
आपके गवाही देने के बाद	30
अदालत में मामले की समाप्ति	31
अन्य उपलब्ध सहायता	33
कोई अन्य प्रश्न या टिप्पणी	35
याद रखने योग्य बातें	36
उपयोगी संपर्क नाम और नंबर	37
शब्दावली	38

परिचय

अदालत में जाना

यह पुस्तिका उन वयस्क गवाहों के लिए है जिन्हें किसी अदालती मामले में गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है।

आपराधिक मामलों में गवाहों से संभावित अपराध के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है।

बच्चों के मामले की सुनवाई में गवाहों के पास बच्चे के कल्याण के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी हो सकती है।

पहली बार कोई भी काम करना किसी के लिए आसान नहीं होता और आप भी गवाह बनने के बारे में चिंतित हो सकते हैं।

इस पुस्तिका से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने में मदद मिलेगी और आप समझ सकेंगे कि अदालत में क्या कुछ होता है।

यह पुस्तिका आपको यह भी बतायेगी कि कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और गवाह के रूप में आपको क्या सहायता उपलब्ध हो सकती है।

अदालत की कार्रवाई में प्रयुक्त कुछ शब्द और उनके अर्थ इस पुस्तिका के अंत में प्राप्त हो सकते हैं।

गवाह क्या है?

गवाह बनना बहुत महत्त्वपूर्ण है, चाहे यह आपराधिक मामले में हो या बच्चों की सुनवाई अदालत के मामले में।

यदि आप एक गवाह हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपः

- किसी अपराध के शिकार हुए हैं;
- ने किसी अपराध के सिलसिले में कुछ देखा या सुना है;
- के पास अपराध के अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी है;
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चों की सुनवाई अदालत के मामले से जुड़े हुए हैं।

गवाह अदालत को सूचनायें देकर बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सूचनाओं को गवाहों के बयान या गवाही कहा जाता है। अदालतों को गवाहों की गवाही की जरूरत इसलिए होती है ताकि वे यह पता लगा सकें कि क्या हुआ है और किसी फैसले या नतीजे तक पहुँच सकें।

हो सकता है कि आप पुलिस या वकील को बयान के रूप में पहले ही ये सूचनायें दे चुके हों।

ऐसे तीन अलग–अलग लोग हैं जो आपको गवाह के रूप में बुला (या यदि औपचारिक रूप से कहें तो 'तलब' कर) सकते हैं:

- प्रोक्योरेटर फिस्कल (जिसे फिस्कल या अभियोजन पक्ष का वकील भी कहते हैं)
- बचाव पक्ष का वकील या दूसरा वकील
- बच्चों के पैनल का रिपोर्टर।

गवाह बनना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें आपको जो कुछ भी मालूम है, उसे अदालत को सच–सच बताना होता है।

अदालतें आप जैसे गवाहों की मदद के बिना अच्छी तरह काम नहीं कर सकती।

गवाह के रूप में आपके लिए क्या समर्थन और सहायता उपलब्ध है?

ऐसे बहुत से व्यक्ति या संगठन हैं, जो आपको अदालत की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा गवाही देने के लिए और अच्छी तरह तैयार होने में आपकी मदद की व्यवस्था कर सकते हैं।

कभी–कभी अपने परिवार के लोगों या किसी दोस्त से बात करने से भी मदद मिलती है। इसके अलावा बहुत से अन्य लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं:

✿ **विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंड (VSS)**: आपके स्थानीय समुदाय के कर्मचारी और स्वयंसेवक, अदालती मामला न होने पर भी अपराध का शिकार हुए लोगों तथा उनके परिवारों, और कुछ गवाहों की भी सहायता कर सकते हैं। वे आपके घर पर आकर आपसे मिलने की या स्थानीय वीएसएस (VSS) कार्यालय में आपसे मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर मामला अदालत में जाता है, तो वीएसएस (VSS), गवाह सेवा के साथ मिलकर काम करता है, जो अदालत में स्थित होती है।

✿ **गवाह सेवा**: यह सेवा, स्कॉटलैंड के प्रत्येक हाई कोर्ट और शेरिफ कोर्ट में विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके कर्मचारी और स्वयंसेवक, आपराधिक मामलों से जुड़े सभी गवाहों और उनके परिवारों को सहायता तथा समर्थन देने के लिए मौजूद रहते हैं, जब उन्हें अदालत में आना होता है। अदालत में मामला शुरू होने से पहले हो सकता है आपने गवाह सेवा के किसी व्यक्ति से फोन पर बात की हो, या अदालत में उनसे मिले हों।

✿ **पुलिसः** यदि आपने पुलिस को अपना बयान दे दिया है तो वे यह जानने में आपकी मदद कर सकते हैं कि अब क्या हो रहा है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। पुलिस सभी अदालतों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहती है और डराने–धमकाने के आरोपों की सूचना मिलने पर ऐसी बातों को गंभीरता से लेती है।

✿ **प्रोक्योरेटर फिस्कल (सरकारी वकील)**: यदि मुकदमा चलना है और सरकारी वकील ने आपको गवाह के रूप में बुलाने का फैसला किया है, तो वे आपको मुकदमे के बारे में एक पत्र भेजेंगे और साथ में एक पुस्तिका भी, जिसमें समझाया जायेगा कि अदालत में क्या होगा। कुछ मामलों में, हो सकता है कि आप प्रोक्योरेटर फिस्कल से पहले ही बातचीत कर चुके हों, जब उन्होंने आपसे गवाही के बारे में सवाल पूछे होंगे।

✿ **पीड़ित सूचना तथा परामर्श [Victim Information and Advice (VIA)]**: VIA से जुडे लोग अपराधों के शिकार हुए अधिकतर लोगों और कुछ निश्चित मामलों में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को भी सूचना तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वकील के साथ मिलकर काम करते हैं। केवल सरकारी वकील ही किसी व्यक्ति को VIA के पास भेज सकते हैं। यदि VIA आपके मामले से संबंधित है तो उन्होंने आपको अदालत की प्रक्रिया के बारे में आपको पहले ही एक पत्र और लीफलेट (पुस्तिकायें) भेज दी होंगी और अब जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी वे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

✿ **वकीलः** यदि बचाव पक्ष के वकील ने आपको गवाह के रूप में बुलाया है, तो आपको उनसे अदालत की प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहिए। वे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आवश्यक सहायता की भी व्यवस्था करेंगे।

✿ **बच्चों के रिपोर्टरः** हो सकता है कि आप बच्चों के रिपोर्टर से पहले ही मिल चुके हों, जब उन्होंने आपसे गवाह बनने को कहा हो। वे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आवश्यक सहायता की भी व्यवस्था करेंगे।

✿ **सामाजिक कार्यकर्ताः** सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता अथवा निगरानी की आवश्यकता हो। हो सकता है कि आपका पहले से ही किसी सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क हो। वे आपकी बात सुनेंगे

और आपके लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करने में मदद देंगे।

✿ **स्वैच्छिक संगठन:** हो सकता है कि आप पहले से ही किसी अन्य सहायता संगठन के संपर्क में हो, जैसे कि स्कॉटिश वीमेन्स एड, रेप क्राइसिस, एज कन्सर्न, और अन्य।

अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना सहायक सिद्ध होता है, जिसे पता हो कि गवाह के रूप में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और जो जानता हो कि अदालती प्रक्रिया कैसी होती है।

कृपया इस पुस्तिका के अंत में उन व्यक्तियों और एजेंसियों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखें जो सीधे आपकी सहायता कर रहे हैं।

कुछ अन्य बातें, जो आपके लिए चिंता का विषय हो सकती हैं:

क्या मुझे अभियुक्त या मामले से संबंधित अन्य पक्षों से मिलना होगा?

आपराधिक मामलों में यदि आप अदालत की इमारत में प्रवेश करने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक ही स्थान पर प्रतीक्षा करने के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं तो यह संभव है कि कोई आपको अदालत की इमारत में मिल जाये।

गवाह सेवा, अदालत का कोई अधिकारी या VIA का कोई व्यक्ति इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आप अन्य गवाहों से अलग, किसी दूसरे कमरे में प्रतीक्षा करें। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आप मामले से संबंधित अन्य लोगों से नहीं मिलेंगे।

बच्चों की सुनवाई अदालत के मामलों में, बच्चों का रिपोर्टर गवाहों की चिंताओं का ध्यान रखेगा और जब भी आवश्यक होगा, तो अलग–अलग प्रतीक्षा कक्षों का प्रयोग करेगा ताकि मामले से संबंधित अन्य लोगों से मिलने से बचा जा सके।

क्या जनता मेरी गवाही सुन सकेगी?

आपराधिक मामलों में, आमतौर पर अदालत खुली रहती है और जनता का कोई भी व्यक्ति कमरे के पिछले हिस्से में पब्लिक गैलरी में बैठकर गवाही सुन सकता है, बशर्ते वह स्वयं गवाह न हो और उसने अब तक अपनी गवाही न दी हो।

लेकिन जब कभी किसी कथित यौन अपराध के मामले में पीड़ित व्यक्ति अपनी गवाही दे रहा हो, तब सामान्यतः अदालत से अनुरोध किया जाता है कि वह आम जनता को अदालत में उपस्थित रहने से मना कर दे (अदालत बंद कर दें)। यह भी संभव है कि अदालत अन्य गवाहों को वहाँ से हटाने पर विचार करे यदि, उदाहरणस्वरूप डराने–धमकाने का ख़तरा हो या यदि गवाह का बयान अत्यधिक पीड़ादायक हो।

बच्चों की सुनवाई अदालत के मामलों में, मामले से संबंधित कुछ लोगों को उपस्थित रहने का अधिकार होता है। अन्य लोग केवल शेरिफ की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं।

किसी भी तरह के डराने–धमकाने की घटना के बारे में आपको अदालत में मामले की सुनवाई से पहले या उसके दौरान, पुलिस या अदालत के अधिकारियों को अवश्य बता देना चाहिए।

यदि अंग्रेजी मेरी मूल भाषा न हो, तो?

यदि अंग्रेजी आपकी मूल भाषा नहीं है तो आपको दुभाषिये (इंटरप्रेटर) की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है, आप थोड़ी–बहुत अंग्रेजी बोल लेते हों लेकिन हर शब्द को समझने में आपको कठिनाई होती हो। जिस व्यक्ति ने आपको गवाह के रूप में बुलाया है, वह आपके लिए दुभाषिये की भी व्यवस्था कर सकता है। वे अदालत के साथ ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको सुनवाई या अदालत की अन्य कार्रवाइयों के दौरान आवश्यक सहायता मिल सके।

यदि मुझमें कोई विकलांगता हो, तो?

यदि आपमें कोई विकलांगता है, संचार संबंधी कठिनाइयाँ हैं, या कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकतायें हैं, तो आपको गवाह के रूप में बुलाने वाले व्यक्ति को बता देना चहिए।

(वह व्यक्ति जो आपको कोर्ट में बुलाता है) अधिकतर अदालतें सीमित शारीरिक क्षमता वाले गवाहों की सहायता के लिए सामान्यतः सुविधायें उपलब्ध कराती हैं। अधिकतर अदालतों में व्हीलचेयर से पहुँचने की सुविधा होती है और अनेक में कम सुनने वालों के लिए 'लूप सिस्टम' की व्यवस्था होती है। यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने आपको गवाह के रूप में बुलाया है, उसे आप हर उस बात के बारे में बता दें जिसके बारे में आप निर्श्चित नहीं हैं या यदि आपकी कोई अतिरिक्त आवश्यकतायें या चिंतायें हैं।

अदालत कुछ गवाहों को विशेष रूप से कमजोर (vulnerable) मान सकती है यदि उनकी गवाही की गुणवत्ता किसी मानसिक असंतुलन या गवाही देने से संबंधित भय या कष्ट से प्रभावित हो सकती हैं।

मानसिक असंतुलन का अर्थ मानसिक रोग या सीखने में कमी (learning disability) हो सकता है। भय या कष्ट
बहुत से कारणों से हो सकता है।

यदि आपको लगता है कि आप कमज़ोर गवाह हो सकते हैं तो आपको इस बारे में उस व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए जिसने आपको गवाह के रूप में तलब किया है (प्रोक्योरेटर फिस्कल, बच्चों के रिपोर्टर या मामले का कोई वकील)। वे आपके साथ आपकी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और बतायेंगे कि क्या आपको अदालत में यह आवेदन करना उपयुक्त होगा कि आपकी गवाही में मदद के लिए विशेष उपायों के प्रयोग की अनुमति दी जाये। वे आपको बतायेंगे कि अदालत में किन बातों पर विचार किया जाता है और आपको विशेष रूप से कमज़ोर गवाहों के बारे में दूसरी पुस्तिका 'गवाह बनना – विशेष उपायों का प्रयोग' भी देंगे।

अदालत से परिचित होने के लिए वहाँ जाना

अधिकतर लोग गवाह बनने के बारे में बेहतर महसूस करते हैं, अगर उन्हें मालूम हो कि क्या होने वाला है और उन्होंने पहले से ही अदालत देख रखी हो।

गवाहों को अदालत देखने जाने की व्यवस्था सामान्यतः वीआईए (VIA), बच्चों के रिपोर्टर या बचाव पक्ष के वकील द्वारा की जाती है।

गवाह सेवा, गवाहों को अदालत से परिचित कराने के लिए वहाँ और किसी भी टेलीविज़न संपर्क वाले स्थान तक ले जाने की नियमित व्यवस्था करती है ताकि आपराधिक मामलों से जुड़े चिंतित गवाहों को अदालत के माहौल और कार्रवाइयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें अन्य सहायता संगठन भी मदद कर सकते हैं।

आप सीडी–रॉम पर अदालत की तस्वीरें देखनाा भी पसंद कर सकते हैं जिसमें कमज़ोर गवाहों के लिए विशेष उपायों की भी जानकारी दी गई है और यह भी बताया गया है कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है।

जिस व्यक्ति ने आपको गवाह के रूप में बुलाया है, उससे आप यह सीडी–रॉम दिखाने को कह सकते हैं और अदालत में जाने की यथार्थ व्यवस्था के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

अदालतें और अदालती कार्रवाइयाँ

पूरे स्कॉटलैंड में अनेक अदालतें हैं और वे अलग–अलग तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं।

आपराधिक (फौजदारी) अदालत की कार्रवाईः

✿ **गंभीर सुनवाई (Solemn proceedings)**
यह सबसे अधिक गंभीर आपराधिक मामले हैं जहाँ फैसला सुनाने के लिए जूरी रहती है। इन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट या शेरिफ के कोर्ट में होती है।

✿ **शीघ्र सुनवाई (Summary proceedings)**
यह ऐसे आपराधिक मामले हैं जहाँ जूरी नहीं होती। फैसला शेरिफ या मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इन मामलों की सुनवाई शेरिफ कोर्ट या ज़िला (डिस्ट्रिक्ट) कोर्ट में होती है।

सभी आपराधिक मामलों में, जज, या यदि जूरी हुई तो वह, मामले से संबंधित सभी गवाही सुनते हैं और यह फैसला करते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो जज, शेरिफ या मैजिस्ट्रेट उसकी सज़ा के बारे में फैसला करते हैं।

आप अदालती प्रक्रियाओं के बारे में VIA की पुस्तिकाओं से और अधिक पढ़ सकते हैं (देखें www.crownoffice.gov.uk) या जिस व्यक्ति ने आपको गवाह के रूप में बुलाया है, उससे अधिक जानकारी माँग सकते हैं।

बच्चों की सुनवाई अदालत की कार्रवाई

इस अदालत की कार्रवाई बहुत कम औपचारिक होती है। बच्चों की सुनवाई की अदालती मामला में शेरिफ अदालत में होगी, लेकिन कभी–कभी अदालत की इमारत के किसी छोटे कमरे में सुना जाता है। वहाँ आम जनता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती, जब तक कि शेरिफ इसकी अनुमति न दे। वहाँ जूरी भी नहीं रहती और फैसला हमेशा शेरिफ ही करते हैं।

बच्चों की सुनवाई अदालत के मामलों में शेरिफ सारी गवाही सुनते हैं और फैसला करते हैं कि क्या वाकई कुछ हुआ है या बच्चे के बारे में चिंतायें सही साबित हुई हैं।

यदि शेरिफ बच्चों के रिपोर्टर के मामले से सहमत हैं, तो उसे वापस बच्चों की सुनवाई अदालत के पास भेजा जाता है, जो यह फैसला करती है कि बच्चे के लिए क्या मदद चाहिए। शेरिफ यह फैसला नहीं करते हैं कि बच्चे के लिए क्या किया जाना है; यह बाल सुनवाई ही तय करती है।

क्योंकि ये मामले बच्चों से संबंधित होते हैं, इसलिए हो सकता है, कि आप किसी बच्चे द्वारा किये गये कथित अपराध के शिकार न हों।

अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या हैं?

आपराधिक अदालत की कार्रवाई में

✿ **जज या शेरिफः** जज या शेरिफ कानून विशेषज्ञ होते हैं और सभी अदालती कार्रवाइयों के प्रभारी होते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ कानून के अंतर्गत निष्पक्ष तरीके से हो और अदालत के नियमों तथा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो। उनका यह भी कर्त्तव्य है कि मामले से संबंधित गवाहों सहित सभी लोगों के हितों की रक्षा करें।

✿ **प्रोक्योरेटर फिस्कल या एडवोकेट डिप्यूटः** यह अभियोजन पक्ष के वकील हैं, जिन्होंने शायद आपको इस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया हो। सरकारी वकील या उनकी जगह कोई दूसरा वकील (एडवोकेट डिप्यूट), अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग का मामला पेश करते हैं। "सबूत का ज़िम्मा" (burden of proof) अभियोजन पक्ष पर होता है, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें पर्याप्त सबूत पेश करने होते हैं ताकि 'बगैर किसी तर्कसंगत संदेह के' यह साबित हो सके कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तव में दोषी है। वे अदालत में गवाहों से सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि गवाह अपने जवाबों से इसका सबूत दे सकें।

✿ **बचाव पक्ष के वकीलः** बचाव पक्ष के वकील अभियुक्त की ओर से काम करते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूतों की जाँच करते हैं, और अदालत के सामने अभियुक्त का पक्ष रखते हैं। उन्हें हमेशा अभियुक्त के हितों का ध्यान रखना होता है। यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो अदालत में उनके वकील भी एक से अधिक होंगे और उनमें से हरेक, गवाह से उसकी गवाही के बारे में पूछ सकता है। कभी–कभी बचाव पक्ष का वकील भी वह व्यक्ति हो सकता है, जिसने आपको गवाही देने के लिए बुलाया है।

✿ **जूरीः** कुछ मामलों में, जूरी यह फैसला करती है कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है। स्कॉटलैंड में जूरी में 15 लोग होते हैं। वे जनता के सदस्य होते हैं, जिन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वे गवाही सुनेंगे और फैसला करेंगे कि क्या अभियुक्त के खिलाफ मामला 'बगैर किसी तर्कसंगत संदेह के' साबित हो गया है।

✿ **अदालत का क्लर्कः** यह व्यक्ति जज की सहायता करने तथा अदालत के कागज़ात और रिकॉर्ड रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है।

✿ **कोर्ट अधिकारीः** यह व्यक्ति अदालत की सहायता करता है और गवाहों को बताता है कि उनकी गवाही की बारी कब आयेगी। उनसे यह भी कहा जा सकता है कि वे गवाहों को विभिन्न सबूत, जैसे कि कपड़े, फोटो या अन्य वस्तुएँ दिखायें।

✿ **अभियुक्तः** यह वह व्यक्ति है जिस पर अपराध करने का आरोप है।

✿ **कोर्ट पुलिस या सुरक्षा अधिकारीः** ये लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि अदालत में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उचित व्यवहार कर रहा है और सुरक्षित है।

✿ **जनताः** आपराधिक मामले आम तौर पर जनता के लिए खुले होते हैं। 14 वर्ष से अधिक आयु के आम लोग, अदालत के पिछले हिस्से में सार्वजनिक स्थल पर बैठ सकते हैं, और गवाहों तथा वकीलों को देख–सुन सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में अदालत आम जनता के लिए बंद कर दी जाती है।

प्रेस को किसी भी अदालत से बाहर नहीं रखा जाता, भले ही वह आम लोगों के लिए बंद हो। यदि प्रेस मामले की ख़बर देने का फैसला करता है, तो वह यौन अपराध के पीड़ितों की पहचान नहीं बतायेगा।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामलों में

✿ **शेरिफः** शेरिफ अदालत की सभी कार्रवाइयों के प्रभारी होते हैं और कानून के विशेषज्ञ होते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ कानून के अंतर्गत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और अदालत के नियमों तथा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। उनका यह भी कर्त्तव्य है कि मुकदमे से संबंधित गवाहों सहित सभी लोगों के हितों की रक्षा करें।

✿ **बच्चों का रिपोर्टरः** बच्चों का रिपोर्टर वह व्यक्ति है जो बच्चों की सुनवाई अदालत का मामला पेश करता है और जिसने हो सकता है, आपको गवाह के रूप में बुलाया हो। वह अदालत में सवाल पूछता है ताकि गवाह अपनी गवाही दे सकें। वह बच्चे के हितों का ध्यान रखता है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता।

✿ **हितरक्षक (Safeguarder)**: हितरक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है जिसे बच्चे के हितों का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कभी–कभी वह बच्चों की सुनवाई के मुकदमे में उपस्थित रहता है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जो भी फैसला किया गया है वह बच्चे के हित मे श्रेष्ठ है।

✿ **कार्रवाई से सीधे संबंधित अन्य लोगः** इनमें बच्चा, उसका परिवार या अन्य लोग आते हैं जो बच्चे के मामले से सीधा संबंध रखते हैं और संभवतः अदालत में मौजूद होंगे।

✿ **अन्य वकीलः** अदालत में एक या अधिक अन्य वकील भी हो सकते हैं जो बच्चे के मामले से सीधे तौर पर संबंधित लोगों की ओर से वहाँ उपस्थित होंगे। वे गवाह से उसकी गवाही के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।

कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी वकील ने आपको गवाह के रूप में बुलाया हो।

बच्चों की सुनवाई के मामलों में आप जनता और प्रेस को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती, जब तक कि शेरिफ ने उन्हें अनुमति न दी हो। अधिकतर मामलों में, जनता और प्रेस को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाती है।

मुकदमे की तैयारी कैसे की जाती है?

आपराधिक (फौजदारी) मुकदमे

सरकारी वकील स्वतंत्र रूप से यह निर्णय करते हैं कि कोई मामला अदालत में जायेगा या नहीं। कोई भी मामला अदालत में तभी जा सकता है, जब सरकारी वकील को विश्वास हो कि अभियुक्त द्वारा अपराध करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यदि अभियुक्त दावा करता है कि वह 'दोषी नहीं' है तो मुकदमा चलाया जायेगा और गवाहों से अपनी गवाही देने की उम्मीद रखी जायेगी।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामले

बच्चों का रिपोर्टर स्वतंत्र रूप से फैसला करता है कि मामले को बच्चों की सुनवाई अदालत में भेजना है या नहीं। बच्चों का सुनवाई मामला अदालत में तभी जाता है यदि सुनवाई में शामिल लोगों के बीच इस बारे में सहमति न हो कि क्या हुआ था, या बच्चा इतना छोटा हो कि कुछ समझता नहीं हो।

पूर्वबयान (Precognition)

जब सरकारी वकील या बचाव पक्ष के वकील गंभीर आपराधिक मामले की तैयारी कर रहे होते हैं तब वे आपको एक पत्र भेज सकते हैं, जिसे साइटेशन (citation) भी कहा जाता है। इस पत्र में आपकी एक मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, जहाँ आपका बयान लिया जाता है। इस मुलाकात में लिये गये बयान को पूर्वबयान (precognition) कहते हैं।

अनुरोध किये जाने पर गवाह को पूर्वबयान देना ज़रूरी होता है।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मुकदमे में रिपोर्टर सामान्यतः मामले की तैयारी के लिए पृष्ठभूमि रिपोर्टों और बयानों पर निर्भर रहते हैं लेकिन कभी–कभी वे पूर्वबयान लेने या आम तैयारी के सिलसिले में आपसे मिलना चाह सकते हैं।

इसके अलावा, हो सकता है कि अभियुक्त या मामले से संबद्ध किसी और व्यक्ति की ओर से कोई अन्य वकील भी आपसे मिलना चाहें। यह किसी भी मामले की तैयारी का आम हिस्सा है।
यह फैसला आप कर सकते हैं कि वकीलों से कब और कहाँ मिलेंगे। यदि आपको इन मुलाकातों के बारे में कुछ पूछना हो, तो उस व्यक्ति से पूछें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

कभी–कभी, कुछ मामलों में, हो सकता है अभियुक्त का कोई वकील न हो और वह स्वयं गवाहों को इंटरव्यू करे। यदि ऐसा होता है और आप नहीं समझ पा रहे कि क्या करें या इसके बारे में चिंतित हैं, तो आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

अदालत की तारीख

अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले, आपको एक साइटेशन या पत्र मिलेगा जिसमें मुकदमा शुरू होने की तारीख़ दी गई होगी।

यह साइटेशन, आपको गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने की औपचारिक सूचना है। इसे टाला नहीं जा सकता।

यह भी आवश्यक है कि आप साइटेशन में दिये गये स्थान और समय पर उपस्थित हों।

यदि आपको साइटेशन में दी गई तारीख़ पर उपस्थित होने में कठिनाई है और इसका महत्त्वपूर्ण कारण है, उदाहरण के लिए आपको उसी दिन अस्पताल में बुलाया गया है, तो आपको तत्काल सरकारी वकील, बच्चों के रिपोर्टर या दूसरे वकील को इसके बारे में बता देना चाहिए।
यदि आपको साइटेशन और अदालत में उपस्थिति के बारे में कुछ पूछना है या कोई चिंता है, तो भी आपको उनसे संपर्क करना चाहिए।

यदि आपको गवाह के रूप में तलब किया गया है, तो आपको अदालत में अवश्य उपस्थित होना चाहिए।

यदि आपराधिक मामले और बच्चों की सुनवाई के अदालती मामले, दोनों ही तरह की सुनवाई में आप अदालत में उपस्थित नहीं होते, तो अदालत आपके नाम सम्मन (summons) जारी कर सकती है या आपकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर सकती है। यदि आप गवाही देने के बारे में चिंतित हैं, तो आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

अदालत के लिए तैयारी – आपको क्या करना है

बहुत से मामलों में, अपराध करने का आरोपी व्यक्ति दोषी होना स्वीकार कर लेता है, अतः गवाहों को गवाही देने के लिए अदालत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यदि अभियुक्त कहता है कि वह दोषी नहीं है, तो मुकदमा चलता है और अदालत को आप जैसे गवाहों की गवाही सुनने की ज़रूरत पड़ती है।

इसी तरह बच्चों की सुनवाई के भी बहुत से अदालती मामलों में हो सकता है कि सभी पक्ष तथ्यों पर सहमत हों और मामला निबट जाये। जब कभी ऐसा नहीं होता तब अदालत को गवाही सुनने की जरूरत होती है।

जज या शेरिफ को गवाहों की जरूरत होती है जो सवाल पूछने पर अपनी गवाही देते हैं और उन्हीं के आधार पर अदालत यह अंदाजा लगाती है कि क्या हुआ होगा। गवाहों के बिना जज (या जूरी) यह नहीं जान सकते कि क्या हुआ है और मामले के अंत तक पूरे फैसले तक नहीं पहुँच सकते।

अगर मैं कार्यरत हूँ?

गवाह बनने के लिए आपको काम से छुट्टी लेने की जरूरत होगी। आपको पहले से ही अपने नियोक्ता को बता देना चाहिए कि आपको गवाह के रूप में तलब किया गया है। यदि आपका नियोक्ता आपको अदालत में जाने के लिए काम से छुट्टी नहीं देना चाहता, तो आपको तत्काल उस व्यक्ति को बता देना चाहिए जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है। यदि आपको वेतन या दिहाड़ी का नुकसान होता है तो आप प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील में से, जिसने आपको

बुलाया उससे उतना धन प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं, हालाँकि इसकी भी एक निश्चित सीमा है।

अगर मुझे बच्चों की देखभाल की जरूरत हो?

बच्चों को अदालत में आने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे स्वयं गवाह न हों। अदालतों में बच्चों की देखभाल की कोई सुविधा नहीं होती। यदि आपका अपना कोई बेबी सिस्टर या चाइल्ड माइंडर (बच्चों की देखभाल करने वाला व्यावसायिक व्यक्ति) नहीं है, तो आप अपनी काउंसिल या स्थानीय सामाजिक कार्य विभाग से संपर्क करके, अपने इलाके की पंजीकृत देखभाल सुविधाओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं। इस खर्च के कुछ हिस्से का दावा आप उस व्यक्ति से कर सकते हैं जिसने आपको गवाह बनाया है।

मैं क्या पहनूँ?

गवाह के लिए कोई निश्चित वर्दी या कपड़ों का ढंग नहीं होता। आप ऐसे कपड़े पहनें जो आपको आरामदेह लगते हों।

अदालत के मुकदमे के दिन

जब आप अदालत में आयें तो आपको अपना साइटेशन पत्र साथ में लाना चाहिए और उसे स्वागत डेस्क पर दिखाना चाहिए। आपसे कहा जायेगा कि आप गवाहों के सामान्य प्रतीक्षा–कक्ष में, संभवतः अन्य गवाहों के साथ बैठें। कोर्ट अधिकारी वहाँ आकर आपको बतायेंगे कि आपकी गवाही देने की बारी कब आयेगी।

अधिकतर गवाह अदालत में मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं। यदि आपको, मामले से संबद्ध किसी व्यक्ति के साथ अदालत में प्रवेश करने या एक ही स्थान पर प्रतीक्षा करने में कोई विशेष चिंता है तो कुछ अदालतों में यह संभव है कि कि गवाह सेवा, VIA या बच्चों के रिपोर्टर के कार्यालय का कोई व्यक्ति या कोर्ट अधिकारी आपको निजी प्रवेश द्वार से अंदर लाने और अलग कमरे में बैठाने की व्यवस्था कर दे।

कृपया इसके लिए उस व्यक्ति से कहें, जिसने आपको गवाह के रूप मे बुलाया है। इसकी पहले से व्यवस्था की जा सकती है और सभी लोग आपकी सहायता का हर संभव प्रयास करेंगे लेकिन यह गारंटी देना संभव नहीं है कि आप मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मामले से संबंधित लोगों को नहीं देखेंगे या मिलेंगे।

प्रतीक्षा करना

बच्चों की सुनवाई अदालत के सभी मामलों में विशेष समय–अवधि होती है, जिसे लागू कर सुनिश्चित किया जाता है कि मामले की सुनवाई जितनी जल्दी संभव हो, की जायेगी।

सभी आपराधिक मामले यथासंभव जल्दी निबटाये जाते हैं लेकिन कुछ आपराधिक मामलों को अदालत तक पहुँचने में लंबा समय लग जाता है। तारीख पड़ जाने के बाद भी बहुत से कारणों से मामला स्थगित हो सकता है। यह कारण अपरिहार्य हो सकते हैं, और कभी–कभी देरी के बारे में पहले से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की देर होने से कभी–कभी गवाहों और परिवारों को खीझ भी हो सकती है।

कभी–कभी तारीख के दिन ही कोई समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाता है।

ऐसे में आपसे कहा जाता है कि किसी दूसरे दिन आयें। अदालत प्रतीक्षा का समय कम से कम रखने की कोशिश करती है।

यदि आपको देरी के बारे में कोई चिंता है तो प्रोक्योरेटर फिस्कल, बच्चों के रिपोर्टर या वकील में से जिसने भी आपको गवाह के रूप में बुलाया हो, उससे बात करनी चाहिए।

एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद भी देर हो सकती है और कुछ गवाहों को अपनी बारी के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है, आपसे पहले गवाही देने वाला व्यक्ति आशा से अधिक समय ले रहा हो।

अदालत में जाना

समय बिताने में सहायता के लिए कोई किताब या पुस्तिका लेकर आना अच्छा रहता है। कुछ अदालतों में कैफे या कैंटीन होती है और अधिकतर अदालतों में खाने–पीने की चीजों की वेंडिंग मशीन लगी रहती है। लेकिन इस बारे में आपको पहले से पता कर लेना चाहिए और आप चाहें तो अपने साथ कुछ खाने के लिए (हलका नाश्ता) ला सकते हैं।

जब मुकदमा शुरू हो जाये और आप गवाही देने के लिए इंतजार कर रहे हों, तब आपको मामले से संबंधित किसी अन्य गवाह के साथ अपनी गवाही के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए।

अपनी गवाही दे चुकने के बाद, आप गवाहों की प्रतीक्षा–कक्ष में वापस नहीं जा सकते।

शिनाख्त / पहचान करना

हो सकता है कि अदालत में आने से पहले ही आप मामले में शामिल किसी व्यक्ति की पहचान कर चुके हों, जैसे कि पहचान परेड में। यदि ऐसा है, तो आपको अदालत में अपनी गवाही देते समय दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लेकिन कुछ मामलों में, आपको अदालत में उस व्यक्ति की पहचान करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब आप गवाही दे रहे हों, तब आपसे कहा जा सकता है कि अदालत में मौजूद लोगों को देखें और यदि वह व्यक्ति वहाँ मौजूद हो, तो उसकी ओर संकेत करें।

यदि आप इस विषय में चिंतित हैं तो उस व्यक्ति से बात करे, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है। यदि वे इस बारे में कुछ कर सकते होंगे तो आपको बतायेंगे।

अपनी गवाही देना

एक के बाद एक गवाह, अदालत को बताते हैं कि क्या हुआ था या वे क्या जानते हैं और इस तरह अपनी गवाही देते हैं।

आपको अपनी गवाही देने में मदद के लिए प्रोक्योरेटर फिस्कल, अन्य वकील या बच्चों के रिपोर्टर सामान्यतः आपसे सवाल पूछेंगे। जज या शेरिफ भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। वे आपसे, आपके साथ या किसी और के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। या आपने जो कुछ देखा या सुना है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि कानून अभियुक्त को गवाह से सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता, यदिः

- **उस अभियुक्त पर यौन अपराध का आरोप लगाया गया हो; या**
- **कुछ अन्य मामलों में, अदालत ने किसी विशेष रूप से कमजोर गवाह के हितों को देखते हुए ऐसा फैसला किया हो।**

अपनी गवाही देने से पहले आपसे या तो कोई धार्मिक शपथ लेने को कहा जायेगा या यह वायदा करने को कहा जायेगा कि आप सच बोलेंगे। यदि आप शपथ लेना पसंद करते हैं तो अदालत आपके धार्मिक विश्वास का ध्यान रखेगी।

आपको गवाही देने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर होगा कि आप अदालत में कितनी जानकारी देना चाहते हैं और आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं।

एक्जामिनेशन और क्रॉस एक्जामिनेशन (Examination and cross-examination)

सरकारी वकील या बच्चों के रिपोर्टर और सभी अन्य वकीलों को आपसे सवाल पूछने का मौका मिलेगा ताकि उनकी मदद से आप जो कुछ जानते हैं, वह अदालत को बता सकें और अपने उत्तरों को स्पष्ट कर सकें।

इसे प्रश्न या प्रतिप्रश्न (एक्जामिनेशन और क्रॉस–एक्जामिनेशन) कहा जाता है।

आपको ध्यान से सुनना चाहिए और भरसक सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

गवाह के रूप में आपको प्रश्नों के उत्तर सच्चाई से देने चाहिए और जो कुछ आप जानते है, वह अदालत को बताना चाहिए।

कभी–कभी किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन होता है। याद रखें कि अदालत को सभी तरह के गवाहों की गवाही सुनने का अनुभव है और वह समझती है कि कुछ प्रश्न, अन्य प्रश्नों से कठिन हो सकते हैं। आपको समय लेना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए।

यह बहुत आवश्यक है कि गवाही देते समय गवाह हमेशा सच ही बोले। जो गवाह जान–बूझकर सच नहीं बोलते, उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।

यदि आपको यह चिंता है कि यदि आपने किसी के बारे में सच बोला तो आपका क्या होगा, और गवाही देने में किसी भी कारण से डर या घबराहट है तो कृपया उस व्यक्ति को बतायें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

आम तौर पर गवाहों से आशा की जाती है कि वे खड़े होकर अपनी गवाही देंगे लेकिन यदि आप आयु या स्वास्थ्य कारणों से देर तक खड़े नहीं रह सकते तो बैठे–बैठे गवाही देने का अनुरोध कर सकते हैं। आप सुनवाई के दौरान किसी भी समय तकलीफ बढ़ने पर, जज या शेरिफ से बैठने की अनुमति माँग सकते हैं।

गवाही देते समय आपको स्पष्ट बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि जज या शेरिफ और वकील आपकी बात ठीक से सुन सकें और आपसे कुछ दोहराने को न कहना पड़े।

कुछ मामलों में, अदालत में जो कुछ हो रहा है, उसे टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए भी स्पष्ट बोलना जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है कि आप केवल सिर हिलाकर जवाब नहीं दे सकते।

सामान्यतः आपसे अपने नाम की पुष्टि करने को कहा जायेगा, लेकिन अपना वर्तमान पता बताना जरूरी नहीं होगा, जब तक कि वह गवाही का अनिवार्य अंग न हो, उदाहरण के लिए यदि कथित अपराध वहीं हुआ हो। यदि किसी विशेष कारण से आप अदालत में अपना पता पढ़े जाने की संभावना से चिंतित हैं तो उस व्यक्ति से बात करें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप समझे नहीं हैं। अटकल मत लगाइये। उस व्यक्ति से कहें कि प्रश्न समझाये या दूसरी तरह से पूछे ताकि आप उसे समझ सकें। इसी तरह यदि अदालत में किसी को आपका उत्तर समझ में नहीं आया है, तो उसे समझाकर कहें।

यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे सकते कि आपको कोई बात याद नहीं है, तो कृपया ऐसा कहें।

सभी अदालतों में जज या शेरिफ का कर्त्तव्य है कि गवाहों के हितों की रक्षा करें।

यदि आपको प्रश्न पूछने के लहजे या तरीके के विषय में या स्वयं अपने आराम के बारे में कोई चिंतायें हैं तो उसके बारे में जज या शेरिफ से बात करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

ऐसा कैसे किया जा सकता है – इस विषय में उस व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

याद रखें, आप अदालत को जो कुछ बताते हैं, वह आपकी अपनी गवाही होनी चाहिए। अदालत आपसे आपकी बात, आपके ही शब्दों में सुनना चाहती है। कोई अन्य व्यक्ति आपको यह न बताये कि क्या कहना है। अपनी गवाही देते समय आपको हमेशा सच बोलना चाहिए।

आपके गवाही देने के बाद

जब वकील आपसे प्रश्न पूछना समाप्त कर चुके होते हैं, तब जज या शेरिफ आपको बतायेंगे कि आपका काम खत्म हो चुका है और आप जा सकते हैं।

तब गवाह के रूप में आपका काम समाप्त हो जाता है और आपको वापस आने की जरूरत नहीं होती।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामले में, यदि मामला आपके बच्चे का है और आप संबंधित व्यक्ति हैं, तो आपको शेष कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार है। आप बच्चों के रिपोर्टर से यह बात स्पष्ट कर सकते हैं।

आपराधिक मामलों में, यदि आप अपनी गवाही देना समाप्त कर चुके हैं, तो हो सकता है आप शेष कार्रवाई सुनने के लिए सार्वजनिक गैलरी में बैठना चाहें। कृपया याद रखें कि कभी–कभी किसी गवाह की गवाही के दौरान अदालत सार्वजनिक गैलरी को खाली करा सकती है। आपको अदालत के कर्मचारियों से इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि आपको अपनी गवाही दे चुकने के बाद सार्वजनिक स्थल में बैठने की अनुमति है या नहीं।

अदालत में मामले की समाप्ति

यह भविष्यवाणी करना तो कभी भी संभव नहीं है कि कोई मुकदमा कितने समय तक चलेगा। कुछ मुकदमे एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं जबकि कुछ में कई दिन, सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग सकता है। सामान्यतः यह इस बात पर निर्भर है कि उसमें कितने गवाह हैं और हर गवाह, गवाही देने में कितना समय लेता है।

सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद जज/शेरिफ (या जूरी) यह तय करते है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं या अपना फैसला सुनाते हैं।

आपराधिक मामले में, संभावित फैसले हैंः

✿ **दोषी** इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त ने अपराध किया है या अपराध का कुछ हिस्सा किया है, इसे 'बगैर तर्कसंगत संदेह के' साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद जज से कहा जायेगा कि वे दोषी को सजा दें।

✿ **साबित नहीं हुआ या दोषी नहीं** इसका अर्थ यह है कि मामले को ''बगैर तर्कसंगत संदेह के'' साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, या अभियुक्त को दोषी न मानने के अन्य विशेष कारण है। इन दोनों नतीजों का प्रभाव एक सा है और इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को अदालत से छोड़ दिया जायेगा और उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामलों में, शेरिफ यह फैसला करेंगे कि क्या साबित हुआ है, क्या अपराध का आधार स्थापित किया गया है और क्या उस मामले को निबटाने के लिए फिर से बाल सुनवाई अदालत में भेजा जाना है। यदि मामले को दोबारा बाल सुनवाई अदालत में भेजा जाता है तो वही आगे का फैसला करेगी।

आपराधिक मामलों में कोई आपको सूचित करेगा कि अंतिम निर्णय क्या हुआ है।

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामलों में, जहाँ बच्चों की गोपनीयता सुरक्षित रखी जाती है, यह सूचना सीमित रखी जा सकती है।

यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं या किसी विशेष फैसले या सजा को समझना चाहते हैं तो आपको किसने गवाह के रूप में बुलाया है, इस दृष्टि से आप सरकारी वकील/VIA, बच्चों के रिपोर्टर या वकील से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको उतनी सूचनायें देंगे, जिनकी उन्हें अनुमति होगी।

यदि आप खर्च पाने का दावा कर रहे हैं तो इसका विवरण आपको अपने साइटेशन पत्र के पीछे मिलेगा। उसे पूरा कर लेने पर आप उस व्यक्ति से दावा कर सकते हैं, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया था। वह आपका स्थानीय सरकारी वकील, बच्चों का रिपोर्टर या बचाव पक्ष का वकील हो सकता है। कभी कभी आप स्थानीय अदालत में भी यह दावा पेश कर सकते हैं।

अन्य उपलब्ध सहायता

आपराधिक चोट मुआवजे के दावेः यदि आप हिंसात्मक अपराध के पीड़ित हैं तो आप आपराधिक चोटों के मुआवजे का आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं।

इस दावे का फॉर्म प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:

The Criminal Injuries Compensation
Authority (CICA)
Tay House
300 Bath Street
Glasgow
G2 4LN
फोनः 0141 331 2726

यदि आपको फॉर्म भरने में मदद की जरूरत है, तो आप अपने स्थानीय पीड़ित सहायता कार्यालय या किसी वकील से कह सकते हैं।

पीड़ित अधिसूचना योजना : यदि आप किसी अपराध के पीड़ित हैं और यदि अभियुक्त को चार वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जेल भेजा जा चुका है, तो आप पीड़ित अधिसूचना योजना में भाग लेने के अधिकारी हैं। इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों तथा उनके परिवारों को यह सूचना दी जाती है कि अभियुक्त को जेल से कब रिहा किया जायेगा। यदि आपको इसका अधिकार होगा, तो आपको VIA से इस विषय में पत्र और पुस्तिका भेजी जायेगी।

विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंडः सभी मामलों में पीड़ितों को सहायता देने वाली स्थानीय सेवाओं से बात करना सहायक सिद्ध हो सकता है। विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंड की हेल्पलाइन 0845 603 9213 आपको स्थानीय कार्यालय के बारे में बता सकती है।

इन स्थानीय सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी आपको गवाह सेवा या VIA से प्राप्त हो सकती है।

स्कॉटिश कैदियों के परिवारों की हेल्पलाइनः यदि आप जेल भेजे गये अभियुक्त के संबंधी हैं और आपको किसी जानकारी या समर्थन के लिए किसी सहृदय श्रोता की आवश्यकता है, तो आप इस हेल्पलाइन 0500 83 9383 पर निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं।

अन्य प्रश्न या टिप्पणी

यह सुनिश्चित करें कि मुकदमे की तारीख से पहले ही आपके पास सभी आवश्यक जानकारी है। उदाहरण के लिए यह पता कर लें कि अदालत की इमारत या टेलीविजन लिंक कमरा कहाँ है और आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे।

यदि आपको गवाह बनने के बारे में कुछ पूछना है तो उसे लिख लेने से मदद मिलेगी ताकि आप प्रोक्योरेटर फिस्कल/ VIA, वकील, बच्चों के रिपोर्टर या अदालत घुमाकर दिखाने वाले व्यक्ति से उस पर चर्चा कर सकें।

इस पुस्तिका के पिछले हिस्से में दिये गये खाली पृष्ठ पर उन प्रश्नों को लिख लें, जो आप पूछना चाहते हैं।

हो सकता है, आप हमें बताना चाहें कि इन सेवाओं से आपको कितनी सहायता मिली और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

यदि आपकी कोई ऐसी टिप्पणियाँ हैं, जिनसे आपको लगता है कि भविष्य में अन्य गवाहों को मदद मिल सकती है, तो कृपया प्रोक्योरेटर फिस्कल /VIA, बच्चों के रिपोर्टर या वकील को उनके बारे में बतायें।

गवाह सेवा भी आपकी टिप्पणियाँ आमंत्रित कर सकती है।

याद रखने योग्य बातें

अदालत में मुकदमा पेश करने से संबंधित सभी लोग यह समझते हैं कि यह आपके लिए कठिन समय है। कृपया उनसे अपनी चिंताओं और भय के बारे में बात करें। वे आपकी सहायता करेंगे।

- यदि इस पुस्तिका की विषय–वस्तु के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में आप निश्चित नहीं हैं, तो कृपया उस व्यक्ति से बात करें, जिसने आपको गवाह के रूप में बुलाया है।

- यदि आपको अदालत दिखाने की पेशकश नहीं की गई है तो जल्दी ही उसकी माँग करें।

गवाह के रूप में आपका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है, जो कुछ आप जानते हैं उसके बारे में अदालत को सच–सच बताना।

धन्यवाद

उपयोगी संपर्क नाम और नंबर

पुलिस अधिकारीः

बच्चों के रिपोर्टरः

वकीलः

गवाह सेवाः

प्रोक्योरेटर फिस्कलः

पीड़ित सूचना तथा परामर्श (VIA):

विक्टिम सपोर्ट स्कॉटलैंडः

अन्य संगठन/एजेंसी संपर्क

अदालत में जाना

शब्दावली

अदालत में जाना

अदालत में, लोग बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हो सकता है, आप परिचित न हों। उनमें से कुछ शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है:

अभियुक्त :
वह व्यक्ति, जिस पर कानून तोड़ने का अभियोग लगाया गया है और मुकदमा चल रहा है।

एडवोकेट डिप्यूट:
अभियोजन पक्ष का वकील जो क्राउन ऑफिस के लिए काम करता हैद्व और हाईकोर्ट में पेश होता है– देखिये प्रोक्योरेटर फिस्कल।

वचन:
सच बोलने का वायदा (देखें शपथ)।

आरोप:
वह जो कोई कहता है कि घटित हुआ है।

अभियोग:
वह अपराध, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है।

बच्चों की सुनवाईः
जब बच्चों से संबंधित पैनल, परिवार, बच्चा और अन्य लोग मिलकर एक बच्चे की चिंताओं पर चर्चा करते हैं, जो अदालत में साबित हो चुकी हैं।

बच्चों की सुनवाई का अदालती मामलाः
अदालत में वह कानूनी कार्रवाई जहाँ गवाह, बच्चों के रिपोर्टर के मामले के पक्ष में या विरुद्ध गवाही देते हैं। बच्चों की सुनवाई होने से पहले इस मामले का साबित होना या मंजूर होना जरूरी है।

बच्चों का रिपोर्टरः
वह व्यक्ति जो बच्चों की सुनवाई का मुकदमा पेश करता है और गवाहों से उपस्थित रहने का अनुरोध करता है। वह अदालत में प्रश्न पूछता है और बच्चे के हितों की रक्षा करता है लेकिन बच्चे का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

साइटेशनः
वह सरकारी फॉर्म या पत्र, जो गवाह को बताता है कि एक निश्चित तारीख को एक निश्चित अदालत में पहुँचे।

क्लर्क (अदालत का)ः
वह व्यक्ति जो अदालत के कागजात और रिकॉर्ड रखता है।

अपराध करनाः
कानून तोड़ना।

शिकायतः
किसी पर कानून तोड़ने का आरोप लगाने संबंधी बयान – यह अदालत का दस्तावेज भी हो सकता है। जिसमें उस अपराध का विवरण हो, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

क्रॉस एक्जामिनेशनः

जिसे व्यक्ति ने गवाह को अदालत में बुलाया है उसके बाद, अन्य वकीलों द्वारा सवाल पूछे जाना – देखें एक्जामिनेशन (इन चीफ)।

क्रॉउन ऑफिसः

मामलों को अदालत में लाने वाला कार्यालय – अभियोजन के नाम से जाना जाात है।

कोर्ट केसः

अदालत में एक व्यक्तिगत मुकदमा या कार्रवाई।

कोर्ट ऑफिसर [कभी–कभी मेसर (macer) कहा जाता है]:

वह व्यक्ति जो व्यावहारिक बातों में जज की सहायता करता है – वह प्रत्येक गवाह को अदालत में बुलाने का भी काम करता है।

कोर्ट फैमिलियराइजेशन विजिट (अदालत से परिचित होने के लिए वहाँ जाना):

मुकदमे से पहले, गवाह का अदालत में जाना ताकि वह यह देख सके कि अदालत कैसी दिखती है और अदालत की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

बचाव पक्ष का वकील/बचाव पक्ष का परामर्शदाताः

वह वकील जो अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है और अदालत में अभियुक्त की मदद करता है।

गवाहीः

जो गवाह अदालत में कहता है – यह अदालत में लाई गई चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि फोटो, कपड़े या चित्र, ताकि यह दिखाया जा सके कि क्या हुआ था। देखें प्रोडक्शन्स (पेश करना)

एक्जामिनेशन (इन चीफ):

उस वकील द्वारा की जाने वाली पूछताछ, जिसने गवाह को अदालत में बुलाया है। यह वकील गवाह से, अन्य वकीलों से पहले सवाल पूछता है – देखें क्रॉस एक्जामिनेशन।

पहचान/शिनाख्त:

जब गवाह उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसके बारे में वह बात कर रहा था – कभी–कभी यह मुकदमा शुरू होने से पहले होती है और कभी अदालत में भी हो सकती है।

अभ्यारोप:

हाईकोर्ट या शेरिफ और जूरी की अदालत में वह दस्तावेज–जो उस अपराध का विवरण देता है, जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

जज:

हाई कोर्ट में, मुकदमे का प्रभारी और अदालत में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रक – देखें शेरिफ।

जूरी:

पन्द्रह महिलायें और पुरुष (जूरर्स), जो गवाही सुनते हैं और फैसला करते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।

शपथ:

धर्म के नाम पर वचन देना कि गवाह, अदालत में गवाही देते समय सच बालेंगे – गवाह बिना शपथ लिए भी सच बोलने का वचन दे सकता है (देखें वचन) – इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं ।

प्ली/निवेदन:
मुकदमे के आरंभ में यह पूछे जाने पर कि वह दोषी है या निर्दोष, अभियुक्त जो उत्तर देता है।

प्री–कॉग्निशन:
प्रोक्योरेटर फिस्कल बच्चों के रिपोर्टर या बचाव पक्ष के वकील द्वारा गवाह का इंटरव्यू, जिससे उन्हें मामला तैयार करने में मदद मिलती है।

प्रोक्योरेटर फिस्कल:
वह वकील जो अभियोजन पक्ष की ओर से काम करता है – देखें क्राउन ऑफिस। यही फैसला करता है कि मामला अदालत में जायेगा, या नहीं।

प्रोसिक्यूशन/अभियोजन पक्ष:
किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और मामले को अदालत में ले जाना – देखें प्रोक्योरेटर फिस्कल तथा क्राउन ऑफिस।

प्रोडक्शन्स:
सबूत के तौर पर अदालत में दिखाई जाने वाली वस्तुएँ – जैसे कि पत्र या कपड़े।

हितरक्षक (safeguarder):
एक स्वतंत्र व्यक्ति जिसे बच्चे के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है।

सजा:
जज का फैसला, जब अभियुक्त कानून तोड़ने का दोषी पाया जाये – यह अभियुक्त को दिया जाने वाला दंड भी हो सकता है।

शेरिफ:
शेरिफ की अदालत मे जज की उपाधि।

सामाजिक कार्यकर्ताः
वह व्यक्ति जो बच्चों और वयस्कों के साथ उस स्थिति में काम करता है जब उन्हें अतिरिक्त सहायता या निगरानी की जरूरत हो।

विशेष उपायः
किसी बाल गवाह या कमजोर वयस्क को गवाही देने में मदद के विभिन्न तरीके–जैसे कि टेलीविजन लिंक या ओट (स्क्रीन) – देखें सहायक व्यक्ति।

बयानः
पुलिस द्वारा गवाह के बोलने की रिकॉर्डिंग या लिखे हुए नोट।

सहायक व्यक्तिः
वह व्यक्ति जो गवाह के गवाही देते समय उसक साथ रह सकता है – देखें विशेष उपाय।

मुकदमाः
अदालत में कानूनी कार्रवाई जब गवाह आपराधिक मामले में गवाही देने आते हैं।

फैसलाः
मुकदमे के अंत में सुनाया जाने वाला परिणाम।

गवाहः
वह व्यक्ति जिसके पास किसी विषय में जानकारी हो सकती है और जिससे अदालत को उसके बारे में बताने को कहा जाता है – देखें 'गवाही'।

आपके नोट्स